

व्यापक उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
 पत्रावली का कार्यवाही मय लघुदस्तावर जज

दिनांक	विवरण
18-7-21	<p>कोविड-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जमाना कायदा को रोकने की आज्ञा जारी की गई है। पत्रावली में कार्यवाही प्रक्रियाओं में इफ्तदारी जारी रखने पर पत्रावली कायदा पेश हुई। वकलायत परीक्षण के बाद पीठासीन अधिकारी को/मोटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-8-21 को पेश हो।</p>
24-8-21	<p>अवकाश देने पर पत्रावली पेश हुई। वकलायत परीक्षण/अनुपस्थिति पीठासीन अधिकारी को/मोटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली प्रेषित की गई है। दिनांक 13-9-21 को पेश हो।</p>
13-9-21	<p>वकील वादीगण उपस्थित। नस्ते पेश होने तक तत्काल जॉय रिजिटि वकलायत श्रीमाधोपुर दिनांक 08-10-21 को पेश हो।</p> <p>दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>
08.10.2021	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के सग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत नांगल भीम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र में चाही गई दुरुस्ती हो जाने से वादपत्र को विज्ञा करने की स्वीकृति चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विज्ञा स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विज्ञा करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को पंचायत नांगल भीम के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p>(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:- नांगल भीम</p>

मि. ल. उ. म. (वा. व. स.)

